



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 1062) पटना, बुधवार, 2 सितम्बर 2026

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2026

सं0 प्र02/बोर्ड विविध-25/11-14—राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना (SBRAP) 2026 के अंतर्गत सुधार संख्या-51 में निम्नलिखित का प्रावधान है:—

संपूर्ण राज्य में भूमि उपयोग योजना/जोनिंग विनियम सुनिश्चित करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:—

- मुख्य अवसंरचना (जल, विद्युत, स्वच्छता) की उपलब्धता के लिए आवश्यकताएँ।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण की अनुमति न देने वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने वाले जोखिम मानचित्र।
- आवासीय एवं खतरनाक प्रतिष्ठानों के बीच न्यूनतम दूरी को चिह्नित करने वाले जोखिम मानचित्र।
- प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने वाले मानचित्र, जहाँ भवनों का निर्माण वर्जित है।

SBRAP 2026 के अंतर्गत सुधार संख्या 51, जो अनुमत क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता से संबंधित है, के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि बिहार के वितरण कंपनियों (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं एस0बी0पी0डी0सी0एल0) द्वारा PM गति शक्ति पोर्टल पर विद्युत अवसंरचना के GIS आँकड़ों का अद्यतनीकरण प्रत्येक पंद्रह (15) दिनों में एक बार किया जाय। यह अद्यतनीकरण संबंधित वितरण कंपनियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्युत अवसंरचना परिसंपत्तियों को कवर करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है:—

क्र० सं०	अवसंरचना श्रेणी	अद्यतन किए जाने वाले विवरण
1	उपकेन्द्र (Substations)	स्थान (GIS निर्देशांक), क्षमता (MVA), वोल्टेज स्तर, स्थिति (संचालनाधीन/निर्माणाधीन/प्रस्तावित)
2	पारेषण लाइनें (Transmission Lines)	मार्ग संरेखण, वोल्टेज स्तर, लंबाई, टॉवर अवस्थिति, स्थिति
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर (Distribution Transformers- DTs)	स्थान (GIS निर्देशांक), क्षमता (kVA), फीडर मैपिंग, भार विवरण, स्थिति
4	फीडर (Feeders)	मार्ग संरेखण, वोल्टेज स्तर, लंबाई, संयोजित भार, स्थिति
5	वितरण लाइनें (Distribution Lines)	मार्ग संरेखण, वोल्टेज स्तर, लंबाई, चालक प्रकार, स्थिति
6	विद्युत अवसंरचना परियोजनाएँ (Power Infrastructure Projects)	परियोजना विवरण, समय-सारणी, स्थिति, GIS निर्देशांक

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Energy Department

Notification

The 1st September 2026

No.प्र02/बोर्ड विविध-25/2011-14—Under State Business Reforms Action Plan (SBRAP) 2026, **Reform No. 51** provides for the following:-

Ensure formal land use planning/zoning regulations across the state incorporating following:—

- Requirements for trunk infrastructure availability (water, electricity, sanitation).
- Hazard maps identifying areas where construction is not permitted due to natural hazards.
- Hazard maps identifying minimum separation between residential and hazardous occupancies.
- Maps that identify areas in which construction of buildings is not permitted in *relation to natural resources*.

In compliance to **Reform No. 51** under SBRAP-2026 related to requirement of availability of electricity in the permitted zones, it is directed that the Bihar DISCOMs (NBPDCCL & SBPDCL) shall update the GIS data of electrical infrastructure on the PM Gati Shakti Portal at a frequency of once every fifteen (15) days.

The updation shall cover all electrical infrastructure assets under the jurisdiction of the respective DISCOMs, including but not limited to:

Sl. No.	Infrastructure Category	Details to be Updated
1	Substations	Location (GIS coordinates), capacity (MVA), voltage level, status (operational/ under construction/ planned)
2	Transmission Lines	Route alignment, voltage level, length, tower locations, status
3	Distribution Transformers (DTs)	Location (GIS coordinates), capacity (kVA), feeder mapping, load details, status
4	Feeders	Route alignment, voltage level, length, connected load, status
5	Distribution Lines	Route alignment, voltage level, length, conductor type, status
6	Power Infrastructure Projects	Project details, timeline, status, GIS coordinates

This notification is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,
SUDHA GUPTA,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1062-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>